मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

CONCERNED TO WEBSITE

क्रमांक एफ 5-3/2022/1/8 भोपाल, दिनांक 08/8/2022

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः- माननीय उच्च न्यायालय के अवमानना प्रकरणों में नोटिस प्राप्त करने के संबंध में।

माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा पारित आदेशों का पालन नहीं होने की स्थिति में राज्य शासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों को अवमानना प्रकरणों के नोटिस जारी किए जाते हैं।

2/ कुछ मामलों में अधिकारियों के स्टाफ में पदस्थ लिपिकीय कर्मचारियों अथवा निज सहायक द्वारा असंगत कारणों से या इस आधार पर अवमानना प्रकरण के नोटिस को प्राप्त करने से मना किया जा रहा है कि संबंधित अधिकारी अब वहां पदस्थ नहीं है या उनका स्थानान्तरण हो चुका है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही पर आपति व्यक्त की गई है। इस प्रकार नोटिस प्राप्त करने से इनकार करने के कारण कुछ प्रकरणों में माननीय न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती/ गैर जमानती वारंट भी जारी किए गए हैं।

3/ इस संबंध में उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि अवमानना नोटिस में उल्लेखित संबंधित अधिकारी के केवल स्थानान्तरण हो जाने मात्र से, राज्य अथवा उसके बाद उस पद पर पदस्थ हुए अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन के दायित्व से मुक्त नहीं होते हैं। यदि किसी अधिकारी का ऐसा मत है कि पारित आदेश के पालन का दायित्व उससे अपेक्षित नहीं है, ऐसी स्थिति में भी उसके द्वारा अवमानना नोटिस को प्राप्त करने से मना नहीं किया जाएगा बल्कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अवमानना प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

संचालनालय
नगर तथा ग्राम निवेश
आवक क्र. 2454
दिनांक 05/09/22
शाखा विधि
संयु. संचा. (स्था.) आयुक्त

निरन्तर.......... 2

SRA (T)
06/09/22

4/ अतः निर्देशित किया जाता है कि, किसी भी अधिकारी द्वारा उनके नाम से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी अवमानना नोटिस प्राप्त करने से इनकार नहीं किया जाए एवं नोटिस जिस अधिकारी के नाम से है, उसके द्वारा या अधिकृत कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया जाए। तदोपरांत प्रतिवादी अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत किया जावे।

5/ कृपया इन निर्देशों से आपके सभी अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए, कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

(विनोद कुमार)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 5-3/2022/1/8 भोपाल, दिनांक 08/8/2022

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर।
3. रजिस्ट्रार, म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/इन्दौर।
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, भोपाल।
5. अध्यक्ष प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
6. अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
8. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय भोपाल।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव लोकायुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल।
11. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर।
12. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
13. सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
14. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
15. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
16. आयुक्त जन संपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
17. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
18. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश ग्वालियर/ इन्दौर।
19. संयुक्त आयुक्त लिटिगेशन एवं समन्वय जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग